न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (RAS)

राजस्व वाद संख्या 81/2022 **GCMS 2022/158**

वादी

1. राधाकिशन मेघवाल पुत्र भूराराम जाति मेघवाल निवासी राणासर कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण

1. मुकेश कुमार पुत्र मोहनराम
2. रामेश्वरलाल पुत्र मोहनराम
3. लालाराम पुत्र मोहनराम
4. बजरंगलाल पुत्र मोहनराम (मुखबधीर) जरिये संरक्षक माता श्रीमति लिछमीदेवी पत्नी मोहनराम जाति मेघवाल निवासीगण जसराणा तहसील कुचामनसिटी (नागौर)
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर (लैण्ड होल्डर)

दावा– बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री अशोकपुरी अधिवक्ता वादी की ओर से।

श्री मेवाराम चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादीगण 1 से 4 की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 13/8/2022

वकुलाय उपस्थित। उभय पक्षकारान ने बहस कर कथन किया कि वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री तहसीलदार कुचामन सिटी से प्राप्त हो चुकी है माफिक बंटवारा स्कीम के अन्तिम डिक्री फरमावें। वकील वादी की बहस पर वाद पत्र एवं वाद पत्र के संलग्न आदेश दिनांक 04.07.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार कुचामनसिटी से बंटवारा स्कीम मंगवाई गई। तहसीलदार कुचामनसिटी ने बंटवारा स्कीम पत्रांक भू0अ0/2022/2016 दिंनाक 29.07.2022 के द्वारा भिजवाई गई, बंटवारा स्कीम शामिल मिसल उपलब्ध है। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द बंटवारा स्कीम दिनॉक 22.07.2022 में नजरी नक्शा अंकित कर ग्राम जसराना पटवार मण्डल रूपपुराटोरड़ा के खसरा नम्बर 798/212 रकबा 0.2325 हैक्टर में पश्चिमी तरफ रकबा 0.0996 हैक्टर पर वादी राधाकिशन पुत्र भूराराम जाति मेघवाल काबिज है, पूर्वी तरफ रकबा 0.1329 हैक्टर पर प्रतिवादीगण मुकेश कुमार वगैरह काबिज है। जिनको नजरी नक्शे में बताया गया है।

उभय पक्षकारान अधिवक्ता की अन्तिम डिक्री हेतु बहस का मनन एवं संलग्न प्राथमिक डिक्री व तहसीलदार से प्राप्त बंटवारा स्कीम का अवलोकन करने से

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

न्यायालय का मत है कि वाद काबिल अन्तिम डिक्री योग्य पाया गया। अतः वाद निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।

आदेश

वाद अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम जसराना पटवार मण्डल रूपपुराटोरड़ा के खसरा नम्बर 798/212 रकबा 0.2325 हैक्टर में पश्चिमी तरफ रकबा 0.0996 हैक्टर पर वादी राधाकिशन पुत्र भूराराम जाति मेघवाल को तथा पूर्वी तरफ रकबा 0.1329 हैक्टर पर प्रतिवादीगण मुकेश कुमार वगैरह को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 13/8/2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबुलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

डिक्री मुकदमा इब्तेदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : बाबुलाल जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 81 / 2022 **GCMS 2022/158**

वादी

1. राधाकिशन मेघवाल पुत्र भूराराम जाति मेघवाल निवासी राणासर कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण

1. मुकेश कुमार पुत्र मोहनराम
2. रामेश्वरलाल पुत्र मोहनराम
3. लालाराम पुत्र मोहनराम
4. बजरंगलाल पुत्र मोहनराम (मुखबधीर) जरिये संरक्षक माता श्रीमति लिछमीदेवी पत्नी मोहनराम जाति मेघवाल निवासीगण जसराणा तहसील कुचामनसिटी (नागौर)
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर (लैण्ड होल्डर)

दावा– बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री अशोकपुरी अधिवक्ता हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू मेवाराम चौधरी अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **वाद अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम जसराना पटवार मण्डल रूपपुराटोरड़ा के खसरा नम्बर 798 / 212 रकबा 0.2325 हैक्टर में पश्चिमी तरफ रकबा 0.0996 हैक्टर पर वादी राधाकिशन पुत्र भूराराम जाति मेघवाल को तथा पूर्वी तरफ रकबा 0.1329 हैक्टर पर प्रतिवादीगण मुकेश कुमार वगैरह को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।**

निज .... मुबलिग .... बाबत................... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 13 माह 08 सन् 2021 को जारी की गई।

दस्तखत
उपखण्ड अधिकारी
अदालत कुचामन सिटी (नागौर) (मुहर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट: इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला (नागौर)

क्रमांक / राजस्व / 2022 / 373 दिनॉकः– 22/9/22

प्रेषित :– तहसीलदार
कुचामनसिटी

विषय :– राजस्व प्रकरण वाद सं. 81 / 2022 **GCMS 2022/158** राधाकिशन बनाम मुकेश कुमार वगैरह में पारित अन्तिम डिक्री आदेश की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय राजस्व प्रकरण वाद सं. 81 / 2022 **GCMS 2022/158** राधाकिशन बनाम मुकेश कुमार में पारित अन्तिम डिक्री आदेश की प्रति भिजवाई जा रही है, राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करते हुए नक्शे में तरमीम कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

सलंग्नः–उपरोक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

आज़ादी का अमृत महोत्सव

राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

भीम BhIM भारत इंटीग्रेशन मिशन

कार्यालय तहसीलदार (भू–अ.) कुचामन सिटी जिला नागौर (राज0)

क्रमांक / भू–अ. / 2022 / 2016 दिनांक – 29-7-22

प्रेषित –

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
कुचामनसिटी

विषय – राजस्व प्रकरण वाद सं. 81 / 2022 राधाकिशन बनाम मुकेश कुमार वगैरह में पारित प्राथमिक डिक्री की पालना बाबत्।

प्रसंग – श्रीमान के पत्रांक राजस्व / 2022 / 207 दिनांक 05.07.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि राजस्व प्रकरण वाद संख्या 81 / 2022 राधाकिशन बनाम मुकेश कुमार वगैरह में पारित प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवारा स्कीम भू.अ.नि. कुचामनसिटी व पटवारी हल्का रूपपुरा–टोरडा के द्वारा तैयार करवाई गई है ।

अतः मूल ही बंटवारा स्कीम श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी
तहसीलदार(भू.अ.)कुचामनसिटी

2/8/22

मौका फर्द बंटवारा स्कीम

आज दिनांक 22/07/2022 को श्रीमान् तहसीलदार साहब कुचामनसिटी के आदेश क्रमांक/ भू.अ./105 दिनांक 14/07/2022 की पालना में माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी के वाद संख्या 01/2022 CCMS 2022/158 राधाकिशन बनाम मुकेशकुमार वगैरह में पारित प्राथमिक डिक्री (निर्णय दि. 4.7.2022) की पालना में बंटवारा स्कीम तैयार करने हेतु भू०अ० कपुरा के साथ मौके पर (ग्राम भमराना के खसरा नं. 798/212 रकबा 0.2325 है०) पहुंचा। मौके पर वादी व प्रतिवादीगण व मौतबिरान उपस्थित मिले। राजस्व रिकॉर्ड व मौका स्थिति का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार ग्राम भमराना के ख० नं० 798/212 रकबा 0.2325 है० किस्म बारानी 2 में वादी व प्रतिवादीगण सहखातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। मौका स्थिति अनुसार वादी व प्रतिवादी ने अलग-अलग विभाजन कर रखा है। उपस्थित पक्षकारान ने निम्न नजरी नक्शानुसार मौके पर काबिज होना बताया

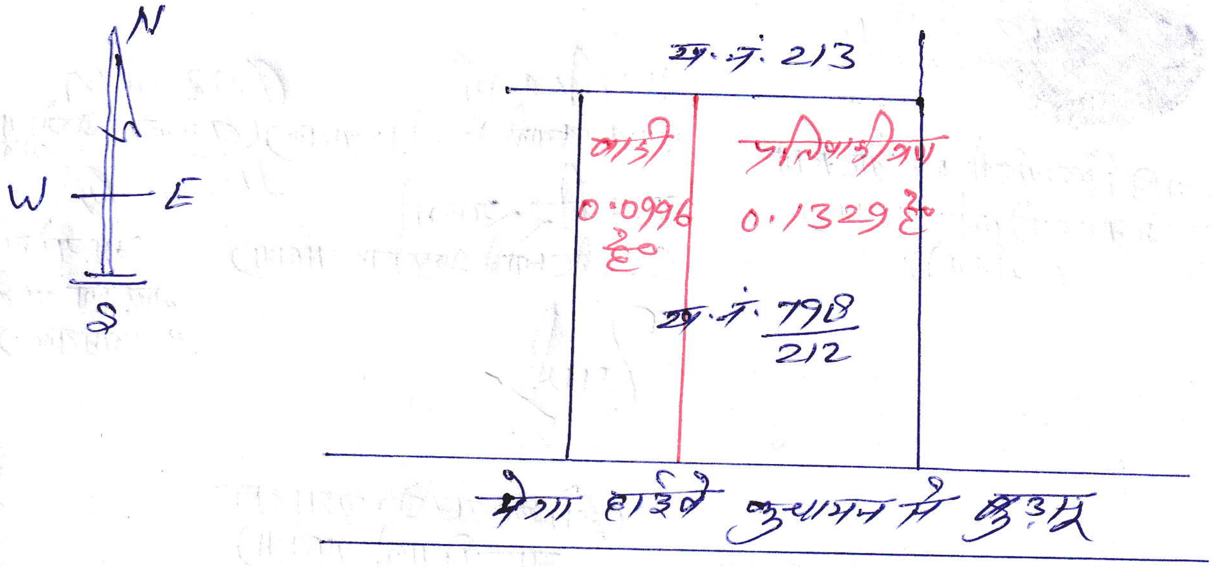

उपरोक्त नजरी नक्शानुसार ख.नं. 798/212 रकबा 0.2325 है० में पश्चिमी तरफ वादी राधाकिशन पुत्र सुरताराम जाति मेघवाल रकबा 0.0996 है० पर व शेष रकबा 0.1329 है० (पूर्वी तरफ)

P.T.O.

— लगातार - 2

पर प्रतिवादीगण मुकेशकुमार वगैरह (मुताबिक अमावली) काबिल है। अपरोक्तानुसार ही वादी व प्रतिवादीगण ग्राम जमराना के ख० नं० 790/212 रकबा 0.2325 है० का बंटवारा करवाना चाहते हैं। कलम्ह उपस्थित पक्षकारान के समक्ष बंटवारा स्कीम मुताबिक न्यायालय आदेश तैयार कर पढ़कर सुनाई गई। उपस्थित ने पढ़कर, सुनकर, समझकर हस्ताक्षर किये।

—

22/7/2022
ILR कु. ...

22/7/22
पटवारी ...

Mukesh Kumar
(मुकेश कुमार S/o मोहनराम मेघवाल जमराणा) (प्रतिवादी)

लालाराम
(लालाराम S/o मोहनराम मेघवाल जमराणा)
(प्रतिवादी)

अं० राधाकिशन
(राधाकिशन S/o भूराराम जाति मेघवाल निवासी रामगढ़ वादी)

(रामेश्वरलाल S/o मोहनराम मेघवाल निवासी जमराणा)
(प्रतिवादी)

अं. नि. (लिछमादेवी)

(अ.नि. लिछमादेवी पत्नि मोहनराम मेघवाल निवासी जमराणा)
(प्रतिवादी)

महावीर स्वामी
(महावीर स्वामी S/o ... जमराणा)

(कानाराम S/o ... जमराणा)

रणवीर स्वामी
(रणवीर स्वामी S/o पुराराम जमराणा)

मनोहरलाल
(मनोहरलाल S/o नाथूराम जाति नायक जमराणा)

(रामस्वरूप ...)

(रामस्वरूप S/o भूराराम जाट निवासी जमराणा)